



कार्ड टोकनाइज़ेशन

प्रलिस के लयऱः

आरबीआई, कार्ड टोकनाइज़ेशन, कार्ड-ऑन-फाइल ।

मेन्स के लयऱः

आरबीआई की रपौरट, कार्ड टोकनाइज़ेशन, कार्ड-ऑन-फाइल ।

चरचा में क्यों?

भारतीय रज़रव बैंक (RBI) ने कार्डधारकों को व्यवधान और असुवधल से बचने हेतु डेबटल और क्रेडल कार्ड के टोकनाइज़ेशन के लयऱः समय सीमा 30 सतऱंबर, 2022 तक तीन महीने बढ़ा दी है ।

- 30 सतऱंबर के बाद कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवरक के अलावा कार्ड लेन-देन या भुगतान शृंखला में कसऱी भी इकाई को CoF (कार्ड-ऑन-फाइल डेटा या वास्तवकल कार्ड डेटा का भंडारण) को संग्रहीत नहीं करना चाहयऱः इसके अलावा पहले संग्रहीत ऐसे कसऱी भी डेटा को समाप्त कर दयऱः जाएगा ।

टोकनाइज़ेशन और कार्ड-ऑन-फाइल:

- **टोकनाइज़ेशन:** यह वास्तवकल क्रेडल और डेबटल कार्ड के ववरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पकल कोड के साथ बदलने को संदरभतल करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डवलडस के संयोजन के लयऱः अद्वतऱय होगा ।
 - एक **टोकनयुक्त कार्ड** लेन-देन को **सुरकषतल** माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रकरयऱः के दौरान वास्तवकल कार्ड ववरण वयऱपारी के साथ साझा नहीं कयऱः जाता है ।
 - जनल ग्राहकों के पास टोकन की सुवधल नहीं है, उन्हें हर बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने पर अपना नाम, 16 अंकों का कार्ड नंबर, समाप्तल तथऱः और CVV दर्ज करना होगा ।
 - अब तक करीब 19.5 करोड़ टोकन बनाए जा चुके हैं । कार्डधारकों के लयऱः **CoFT (टोकन बनाना) का वकल्लप स्वैच्छकल है ।**
- **कार्ड-ऑन-फाइल:** CoF लेनदेन एक ऐसा लेन-देन है जहाँ कार्डधारक ने कार्डधारक के मास्टरकार्ड या वऱज़ा भुगतान ववरण को संग्रहीत करने हेतु एक वयऱपारी को अधकृत कयऱः है ।
- कार्डधारक तब उसी वयऱपारी को अपने संग्रहीत मास्टरकार्ड या वऱज़ा खाते से ही बलल करने के लयऱः अधकृत करता है ।
 - **ई-कॉमर्स** कंपनयऱः और एयरलाइंस तथा सुपरमार्केट चेन सामान्य रूप से अपने ससऱ्टम में कार्ड ववरण को संग्रहीत करते हैं ।

PROCESS TO GET MORE TEDIOUS?

➤ E-tailers & payment gateways **currently offer to store card details**, including the 16-digit number

➤ RBI's ban on storing card data would require e-commerce firms to **opt for tokenisation** or ask customers to enter the card number

➤ Tokenisation refers to payment networks **linking card data to a token**, which is given to the merchant


➤ This token can be used for payments but **only by the specified merchant**

➤ The new rule will become the norm for all card-based transactions in e-commerce **from Jan 2022**

➤ According to a source, the **threat of ransomware attacks** have increased manifold

➤ Online firms **won't be able to store card info & debit recurring payments** (won't affect billers added with bank directly)

➤ It is thought RBI's move is aimed at **increasing customer safety & improving data security**



■ कार्डों का टोकनीकरण क्यों आवश्यक है?

- एक ऑनलाइन कार्ड लेन-देन शृंखला में शामिल कई संस्थाएँ भवषिय में लेन-देन करने के लिये कार्ड डेटा जैसे कार्ड नंबर और समाप्त तिथि कार्ड-ऑन-फाइल स्टोर करती हैं। हालाँकि यह अभ्यास सुवधाजनक प्रदान करता है, कई संस्थाओं के साथ कार्ड वविरण की उपलब्धता से कार्ड डेटा चोरी या दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है।
- ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ व्यापारियों द्वारा संग्रहीत ऐसे ही डेटा से समझौता किया गया है।
- कई कषेत्राधिकार कार्ड लेन-देन को प्रमाणित करने के लिये **प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA)** अनविर्य नहीं है, धोखेबाजों के हाथों चोरी किये गए डेटा के परिणामस्वरूप **अनधिकृत लेन-देन** हो सकता है और **कार्डधारकों को मौद्रिक नुकसान हो सकता है**। भारत के भीतर भी ऐसे डेटा का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के लिये **सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों को नयोजति** किया जा सकता है।

यू.पी.एस.सी. सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्र. भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) बैंकों के बैंको (केंद्रीय बैंक) के रूप में कार्य करता है। इसका/इसके अर्थ नमिनलखिति में से कौन-सा/से है/हैं? (2012)

1. अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा संचति रखते हैं।
2. आवश्यकता के समय RBI वणजियकि बैंको को ऋण देता है।
3. RBI वणजियकि बैंको को मौद्रिक वषियों पर परामर्श देता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, और 3

उत्तर: (d)

- भारतीय रज़िर्व बैंक का उदभव वर्ष 1926 में देखा जा सकता है, जब भारतीय मुद्रा और वतित पर रॉयल कमीशन (जसि हलिटन-यंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता है) ने मुद्रा और क्रेडिट के नयितरण को अलग करने के लिये भारत हेतु एक केंद्रीय बैंक के नरिमाण की सफिरशि की थी। सरकार से और पूरे देश में बैंकिंग सुवधाओं को बढ़ाने के लिये वर्ष 1934 के भारतीय रज़िर्व बैंक अधनियिम के तहत रज़िर्व बैंक की स्थापना की गई।
- **बैंकर्स बैंक और पर्यवेकषक के रूप में आरबीआई की भूमिका:**
 - RBI बैंकों की नगदी का एक हसिसा अपने पास रखता है तथा उन्हें छोटी अवधिके लिये धन उधार देता है और उन्हें केंद्रीकृत समाशोधन एवं सस्ती और त्वरति प्रेषण सुवधाएँ प्रदान करता है। **अतः कथन 2 सही है।**
 - RBI को वैधानिक रूप से अधिकृत है कविह अनुसूचति वाणजियकि बैंकों को अपनी शुद्ध मांग समय देयताओं (NDTL) का एक नरिधारति अनुपात जमा करे। **अतः कथन 1 सही है।**
 - बैंकों के बैंकर के रूप में, रज़िर्व बैंक 'अंतिम ऋणदाता' के रूप में भी कार्य करता है। यह एक ऐसे बैंक के बचाव में आ सकता है जो सॉल्वेंट है,

लेकिन अस्थायी तरलता की समस्याओं का सामना करता है, जब उसे बहुत आवश्यक तरलता की आपूर्त होती है, जब कोई और उस बैंक को ऋण देने के लिये तैयार नहीं होता है।

- RBI को अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना चाहिये।
- RBI मौद्रिक मामलों में वाणज्यिक बैंकों की नगिरानी करता है तथा उन्हें सलाह भी देता है। **अतः कथन 3 सही है**

अतः विकल्प (D) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/card-tokenisation>

